राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2552/2025

मनमोहन दान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, चूरू (राज.)।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) चूरू (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.04.2025

आदेश की दिनांक : 01.05.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री नवीन धुवन, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Rajeldesar, चूरू में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.12.2024 के द्वारा व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया और दिनांक 12.04.2025 के द्वारा उसे वर्तमान पदस्थापन स्थान से पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अर्थूना, बांसवाडा पदस्थापित किया गया। उनका तर्क है कि अपीलार्थी की डिविजन/रेंज परिवर्तित होने के कारण वरिष्ठता में नीचे रखा गया तथा अपीलार्थी के अनुरोध के बिना दूसरे अन्य रेंज में स्थानांतरण किया गया, जिससे अपीलार्थी की वरिष्ठता

प्रभावित हुई है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी को नॉन टीएसपी से टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापन किया गया है। इस प्रकार आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2025 जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है, जारी किया गया है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2025 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान जिला चूरू में पदस्थापित किये जाने के अथवा जिला चूरू के नजदीकी विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में विचार करते हुए एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)